भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4227

26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

गुजरात में नए गोदाम

4227. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में गोदामों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या सरकार की गुजरात में नए गोदाम खोलने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): वर्तमान में, खाद्यान्नों के भंडारण के लिए गुजरात में साइलो सहित उपलब्ध कवर्ड भंडारण क्षमताएं (स्वयं की +किराए पर ली गई) निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	एजेंसियां	क्षमता लाख टन में
1	भारतीय खाद्य निगम	9.34
2	केंद्रीय भंडारण निगम	21.21
3	राज्य एजेंसियां	0.56

(ख) और (ग): गुजरात एक विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्य है। राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्न खरीदती है, भंडारण करती है और वितरित करती है।

जब खरीद कम होती है तो भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) स्टॉक को शामिल करके कमी को पूरा करता है या जब खरीद अधिक होती है, तो भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अतिरिक्त स्टॉक को कमी वाले क्षेत्रों में ले जाता है।

एफसीआई में भंडारण क्षमता की आवश्यकता खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और खाद्यान्न (चावल और गेहूं) के लिए पीडीएस प्रचालन पर निर्भर करती है। एफसीआई लगातार भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है तथा आवश्यकता और भंडारण अंतराल के आकलन के आधार पर, गुजरात सहित पूरे भारत में निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से भंडारण क्षमता सृजित की जाती है/किराए पर ली जाती है:-

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलो का निर्माण
2. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम
3. केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम "भंडारण और गोदाम"
4. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना
5. निजी वेयरहाउसिंग स्कीम (पीडब्ल्यूएस)
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण

*****